

मैनुअल-12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएँ ।

● कार्यक्रम/योजना का नाम	- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ।
● कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	- दिनांक-01.04.02 से 30.06.06 ।
● कार्यक्रम का उद्देश्य	- ग्रामीण क्षेत्रों में नगद राशि एवं खाद्यान के रूप में मजदूरी मुहैया कराना ।
● कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	- जिला स्तर पर निर्धारित ।
● लाभार्थी की पात्रता	- अकुशल वयस्क मजदूर ।
● पूर्वपक्षाएं	-
● अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	- 75:25 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार । जैसे-जैसे केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त की जाती है वैसे-वैसे राज्य सरकार द्वारा भी राशि विमुक्त की जाती है ।
● पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड	- अकुशल वयस्क मजदूर ।
● दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	- केन्द्रांश एवं राज्यांश 75:25 प्रतिशत ।
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	- 50 प्रतिशत राशि पंचायत, 30 प्रतिशत राशि पंचायत समिति तथा 20 प्रतिशत राशि जिला परिषद् ।
● आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें	- पंचायत स्तर पर सम्पर्क ।
● अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)	- कुछ नहीं ।
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सफेद कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	- प्रारूप निर्धारित नहीं ।
● संलग्नकों की सूची	- ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध है ।

●	संलग्नकों की प्रारूप	-	
●	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें	-	उप विकास आयुक्त से ।
●	उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	-	पंचायत/जिला/प्रखण्ड स्तर पर ।
●	लाभार्थियों की सूची (निम्न दिये गये प्रारूप पर)	-	प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन होता है ।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गाँव	मकान नं०